FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

रणजीत सिंह बनाम नाजर सिंह आदि

किस्म मुकदमा धारा 88,91 आरटीए नम्बर 79 सन् 2019

ील म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.19	वादी रणजीत सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 जे एम तहसील घड़साना की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,91 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/11/19 को पेश हो। (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	सम्मन जारी 331 15/10/19
13/11/19	वादी अधिवक्ता उपस्थित। राजपैरोकार की तलबी प्राप्त हुई। श्री मान P.O. महोदय अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16/12/19 को पेश हो	
22/11/19	आज यह पत्रावली वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। व हमारा आपस में राजीनामा हो चुका है। इसलिए वादी उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है। वाद को आज की पेशी मे लेकर खारिज फरमाया जावे। वादी व वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	रणजीतसिंह पहचानकर्ता

अधिकारी (राजस्व) ... रणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya

Date: 2019.11.25 12:06:04 IST

Reason: SelfAttested